

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 85/2019

निर्णय दिनांक - 31.05.2019

1. रमेश चन्द्र पिता गोरीलाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. सागरबाई पिता गोरीलाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
3. दुर्गा पिता गोरीलाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
4. मंजु पिता गोरीलाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
5. लीला पिता गोरीलाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
6. मु0 समदी पत्नि गोरीलाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
- प्राथीगण

// बनाम //

1. छोगालाल पिता रामाजी जाति धोबी आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. मदन पिता भगवानलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
3. गायत्री पत्नि शम्भुलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
4. कमलाबाई पत्नि शिवलाल जाति मेघवाल आयु वयस्क निवासी मैलाना तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मैलाना पटवार हल्का मैलाना तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 124 की आराजी नं0 1842 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा मैलाना पटवार हल्का मैलाना तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 124 की आराजी नं0 1842 रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

